In respect of a few items the export figures for 1982-83 and 1983-84 are also available as shown below:—

Value Rs. lakhs

Item/Group of items	1982-83	1983-84(P)
Rice	19941	12283
Wheat	—	129
Fish and fish preparations	34865	32247
Meat and meat preparations	8011	6247
Sugar and sugar preparations	5646	13695
Tea	36462	50085
Cotton fabrics	26427	27097

(P) Provisional and subject to revision.
Source: DGCI and S, Calcutta.

राजधानी चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड

1478. **श्री राम नरेश कुशवाहा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड, दरीबा कलां तथा निशाद चिट फण्ड, दिल्ली एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा चलाई जा रही है;

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि सदस्यों को 8 हजार रुपए की चिट वैल्यू है परन्तु वास्तव में उन्हें केवल 5,200 रुपए लाभांश के रूप में काट लिए जाते हैं और उस राशि को सदस्यों में नहीं बांटा जाता है;

(ग) फरवरी, 1982 तक उक्त चिट फण्ड ने कितने सदस्यों को पूरे 8,000 रुपए का ऋण दिया है और कितने सदस्यों को केवल केवल 5,200 रुपए दिए हैं; और

(घ) क्या उक्त चिट फण्ड कम्पनियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कारवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त ब्यौरे के अनुसार सूचना इस प्रकार है :—

निशाद चिट फण्ड, दिल्ली के नाम से प्रशासन के पास ऐसी कोई कम्पनी रजिस्टर्ड नहीं की गयी है ।

1964 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पर यथाविस्तारित मद्रास चिट फण्ड अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार चिट श्रृंखलाओं में बोलियों के आधार पर चिटों के मूल्यों के 40 प्रतिशत तक लाभांश की अनुमति है जिसमें कम्पनी के फोरमैन को 5 प्रतिशत कमीशन भी शामिल है । राजधानी चिट फण्ड प्रा. लि., ने 8,000 रुपए के मूल्य वर्ग की केवल एक चिट श्रृंखला चलाई थी जिसके अप्रैल 1981 से जुलाई 1984 तक की अवधि के दौरान 40 महीनों के लिए 40 अभिदाता थे। इस श्रृंखला में कम्पनी के फोरमैन को 5 प्रतिशत कमीशन सहित 35 प्रतिशत लाभांश दिया गया था । इस प्रकार 8,000 रुपए की चिट मूल्यों के मामले में, इनाम पाने वालों को 5,200 रुपए की पेशकश की गयी और बाकी रकम कम्पनी के फोरमैन की 5 प्रतिशत काटने के बाद सभी अभिदाताओं के बीच लाभांश के रूप में बांट दी गयी ।

फरवरी 1982 तक इनाम पाने वाले 10 अभिदाताओं को 5,200 रुपए की दर से अदायगी की गयी। ये अदायगीयां अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की गयी ।

चिट फण्ड रजिस्ट्रार, दिल्ली को राजधानी चिट फण्ड प्रा. लि. के खिलाफ अनियमितताओं की 4 शिकायतें प्राप्त हुई थीं । उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कम्पनी के खिलाफ कार्रवाई की गयी है ।

Central team to arrange bulk purchases of handicraft items from Jammu and Kashmir

1479. SHRI DHARAM CHANDER PRASHANT: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Jammu and Kashmir has approaches the Central Government to send a team of officers to the State to arrange bulk purchases of handicraft items as was done a few years ago; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. A. SANGMA): (a) and (b) A letter has been received from the Government